राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1457/2024

धर्मेन्द्र कुमार टेलर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–3), स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, शाहपुरा।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अराई, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री इलियास खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर एपीओ, निदेशालय, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन आलोच्य आदेश दिनांक 13.03.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा बीसीएमओ, अराई, अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि बीसीएमओ कार्यालय में प्रयोगशाला सहायक का कोई पद नहीं है। अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया है। अपीलार्थी को बीसीएमो, अराई, अजमेर द्वारा पदस्थापित किया जाएगा, जो अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण करने के लिए समक्ष अधिकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी व बच्चें बीमार हैं। ऐसे में अपीलार्थी का पदस्थापन किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. आलोच्य आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पदस्थापन बीसीएमओ, अराई के अधीनस्थ किया गया है। अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत है और उसे बीसीएमओ, अराई अपने अधीनस्थ किसी भी जगह कार्य करवाने के लिए

सक्षम है। हम अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी की पत्नी और बच्चों के बीमार होने का प्रश्न है तो अपीलार्थी अपनी इन व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)